फर्द अहकाम

नियम 20

जर्ये अदालत न्यायालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मुकाम–बारां (राज.)

बउनवान

"एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमि० (पूर्व मे एयू फाईनेन्सर्स इंडिया लिमि०) प्रधान कार्या- 19-ए. धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर

बनाम

मूलचंद नागर पुत्र भैरूलाल पता- 46 अजीतपुरा वार्ड नं. 18, अन्ता बारां (अन्ता)

किस्म मुकदमा :– प्रा0पत्र धारा–14, सरफेसी एक्ट,2002(विविध)

मुकदमा नम्बर :– 06/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज	नम्बर वता अहकाम जो इ हुक्म को तामी मेजरी हुए
13/05/2019	प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी, एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड(जो पूर्व में ए.यू. फाईनेन्नर्स (इंडिया) लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) पंजीकृत कार्यालय 19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर (राज.) द्वारा जर्ये अभिभाषक श्री अमर सिंह नरूका ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया कि एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड(जो पूर्व में ए.यू. फाईनेन्नर्स(इंडिया) लिमिटेड) ने अप्रार्थी **श्री मूलचन्द नागर पत्र श्री भैरूलाल पता–46, अजीतपुरा वार्ड नं0. 18 विलेज एंड तहसील–अन्ता जिला–बारां दूसरा पता– मूलचन्द नागर एवं श्रीमती मनोहर बाई पट्टा नं0– 58, खसरा नम्बर 1122, वार्ड नं0, 4 सिंघाडी तलाई, विपेज एण्ड तहसील–अन्ता जिला–बारां (ऋणी)** श्रीमती मनोहर बाई पत्नी श्री मूलचन्द नागर पता– 46, अजीतपुरा वार्ड नं0 18, विलेज एण्ड तहसील–अन्ता जिला–बारां **(सहऋणी)** श्री रामस्वरूप सुमन पुत्र श्री गोबरीलाल पता– 47, मोमीनल वार्ड नं0 5, विलेज एण्ड तहसील–अन्ता जिला–बारां **(जमानती)** को जमानत प्रतिभूति के रूप में सम्पत्ति को बन्धक रखकर कुल 9,20,000/–रूपये का ऋण दिनांक 08.03.2016 को उपलब्ध कराया गया था। अप्रार्थी को दिनांक 30.06.2018 को डिफाल्डर घोषित किया गया है। अप्रार्थी ऋण चुकाने में असफल रहा है ... 08.08.2018 तक 9,93,515/–रूपये एंव इसके पश्चात् शेष, ब... अन्य खर्चे राशि बकाया है। अतः कार्यवाही The Securitisation and Reconstuction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा–2 के तहत पेश कर अपने पास	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13/05/2019

बतोर जमानत रहन रखी हुयी उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु लिये पर्याप्त बल उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थनापत्र पेश होने पर प्रकरण में सुयोग्य बैंक के प्रतिनिधि को सुना तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। इससे पाया जाता है कि अप्रार्थी ऋणी द्वारा उक्त बैंक से बन्धक सम्पित्त रखकर, ऋण लिया है। अप्रार्थी ऋण राशि जमा कराने में असफल रहा है। प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी(अप्रार्थी) सहऋणी एवं जमानती को दिनांक 08.08.2018 को धारा, 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है, जो अप्रार्थी ऋणी को प्राप्त हुआ है तथा अखबार साया भी किया गया है। बंधक सम्पत्तियॉ इसी जिले से संबंधित है। अतः The Securitisation and Reconstuction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा–14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि बंधक सम्पत्ति के स्वामित्व एवं कब्जे को लेकर प्रकरण किसी भी न्यायालय में जेरकार एवं स्थगन नहीं है। यदि विवाद है कि तो बैंक इस आदेश की कियान्विति नहीं कर, विवाद का संक्षिप्त विवरण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करायेंगे। यदि विवाद नहीं है तो उक्तानुसार प्रार्थी बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गयी सम्पत्ति– **श्रीमूलचन्द नागर एण्ड श्रीमती मनोहर बाई, पट्टा नं0 58, खसरा नम्बर 1122, वार्ड नं0 4 सिंघाडी तलाई, विलेज एण्ड तहसील–अन्ता जिला–बारां जिसका कुल क्षैत्रफल** 1270 स्क्वायर फुट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक जर्ये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, बारां तथा प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश पृथक से जारी किया जाकर पत्रावली में संलग्न किया गया। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर, फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील अभिलेख भण्डार में प्रथक हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला रजिस्ट्रेट
बारां